गतिरोध टूटा, चालू होंगी चीनी मिलें

चीनी मिलों को 500 करोड़ की और राहत, मिलें तत्काल शुरू करेंगी गन्ना पेराई

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। चीनी मिलों में गन्ना पेराई पर गतिरोध रविवार को टूट गया। प्रदेश सरकार ने चालू पेराई सत्र में चीनी मिलों को सहकारी गन्ना समितियों के कमीशन से छूट दे दी। कमीशन के करीब 500 करोड़ रुपये की भरपाई सरकार करेगी। थोड़ी राहत व थोड़े दबाव के बाद यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन ने तत्काल सभी निजी मिलें चलाने की घोषणा कर दी। सरकार ने कहा कि गन्ना मूल्य का भुगतान दो किस्तों में होगा। इसी के साथ शासन ने नौ मिलों के खिलाफ शनिवार को जारी आरसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी।

मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने रविवार को प्रेस कांफ्रेंस कर गन्ना पेराई को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म होने की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रवेश कर और गन्ना क्रय की छूट पहले ही दी जा चुकी है। चालू सत्र में गन्ना समितियों के कमीशन की भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। मिलों को करीब 500 करोड़ रुपये का और लाभ मिलेगा। प्रवेश कर में छूट से 219 करोड़ की राहत तो गन्ना क्रय कर में 160 करोड़ रुपये की रियायत दी गई है। शीरा बिक्री पर नियंत्रण हटाने से चीनी उद्योग को 167 करोड़ का लाभ होगा। यानी 1046 करोड़ रुपये की रियायतें चालू सीजन में शुगर इंडस्ट्री को दी गई हैं।

यह बोझ सरकार उठाएगी। निजी मिलों ने चीनी के रेट में गिरावट से घाटे का तर्क देते हुए मिलें चलाने से इनकार कर दिया था। किसानों के आंदोलन और हाईकोर्ट में तीन दिसंबर को प्रस्तावित सुनवाई को देखते हुए शनिवार को नौ मिलों के खिलाफ आरसी जारी की गई। इससे शुगर लॉबी हरकत में आई। चीनी मिल मालिक रविवार को मुख्य सचिव से मिलने पहुंच गए। दोपहर में तय हुआ कि चीनी मिलों को गन्ना समिति के कमीशन से छूट दे दी जाएगी। चालू सीजन में कमीशन 6.20 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है। इसके बाद निजी मिलें पेराई को राजी हो गईं। मुख्य सचिव ने बताया कि चीनी मिलों की 225 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य देने की मांग को सरकार ने खारिज कर मिलों पर वैधानिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया था।

02
किस्तों में होगा गन्ना मूल्य का भुगतान

09
मिलों के खिलाफ जारी आरसी पर रोक

1046
करोड़ की मिलों को कुल रियायत

पिछले बकाया पर अभी कोई फैसला नहीं

मुख्य सचिव ने बताया कि पिछले पेराई सत्र का 2320 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य किसानों का चीनी मिलों पर बकाया है। इसके भुगतान पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पहली प्राथमिकता चीनी मिलें चलवाना है इसके बाद बकाया भुगतान के लिए दबाव बनाया जाएगा।

एसोसिएशन को गन्ना मूल्य स्वीकार, निर्देश जारी

एसोसिएशन ने सभी मिलों को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं और है कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा घोषित 280 रुपया क्विंटल गन्ना मूल्य स्वीकार है। गन्ना पर्ची पर यही रेट अंकित किया जाएगा। इसी के साथ अनुरोध किया कि गन्ना मूल्य दो किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी जाए। 260 रुपये गन्ना आपूर्ति करने के14 दिन के भीतर और 20 रुपये क्विंटल पेराई सत्र के अंत में। सरकार ने उनका यह अनुरोध मान लिया।

रियायतों में देरी पर सवाल

चीनी मिलों पर सख्ती करने और रियायतें देने में देरी पर सवाल खड़े हो गए हैं। मिलों को राहत देने के कदम एक माह पहले क्यों नहीं उठाए गए। रविवार को घोषित रियायत पहले दे दी जाती तो लाखों गन्ना किसानों को इतना नुकसान न होता। मुख्य सचिव जावेद उस्मानी का कहना है कि चीनी मिल वाले गन्ना मूल्य 225 रुपये करने पर अड़े थे। उन्हें 280 रुपये तक लाने में समय लगा।

Amar Ujala
2/12/13